

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र, 27, शुक्रवार, शाके 1948- सितम्बर 18, 2026 Bhadra 27, Friday, Saka 1948- September 18, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 16, 2026

अनुज्ञप्ति

(अन्तर्गत राजस्थान रोपवे नियम 2000 के नियम 14(10) के तहत)

संख्या न्याय/गुप-2/2026/2912 -'

- अनुज्ञप्तिधारी का नाम:-**जी० आर० इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड
- रज्जुमार्ग का विवरण जहां रज्जुमार्ग सन्निर्मित/संस्थापित/संचालित किया जावेगा:-**मावठा झील के पास से आमेर-जयगढ़-नाहरगढ़ रज्जुमार्ग कुल लम्बाई 6.2 किमी।
- सन्निर्माण हेतु अपेक्षित पूंजी जुटाने के लिए निर्धारित अवधि:-**तीन माह
- कार्य पूर्णता अवधि:-** 36 माह के भीतर सन्निर्माण कार्य पूर्ण कर रज्जुमार्ग कुल लम्बाई 6.2 क्रियाशील (उपयोग योग्य) हो जावेगा। नवम्बर 2027 तक (जयपुर स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण होने पर) मावठा झील आमेर से जयगढ़ तक का कार्य पूर्ण। शेष कार्य 36 माह में से शेष अवधि में पूर्ण कर लिया जावेगा।
- वित्तीय सहायता:-**सरकार की तरफ से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देय नहीं होगी।

यह करार राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसके बाद अनुज्ञापक/लाइसेंसप्रदाता (Licensor) कहा गया है और जी0आर0 इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड जिसे इसके बाद अनुज्ञप्तिधारी (Licensee) कहा गया है के बीच आज दिनांक 19.08.2026 को किया गया ।

अनुज्ञप्तिधारी ने राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित मावठा झील के पास एक केंद्रीकृत स्थान (संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित अनुसार) से नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर के किलों के बीच केवल यात्रियों के परिवहन के लिए, वांछित सुविधाओं युक्त एक रोपवे के निर्माण, स्थापना और संचालन के लिए आवेदन किया है। अनुज्ञप्तिधारी जयपुर में मावठा झील के पास एक केंद्रीकृत स्थान (संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित अनुसार) से नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर के किलों के बीच यात्री परिवहन के लिए अपने स्वयं के खर्च पर रोपवे स्थापित करने, बनाए रखने और संचालित करने तथा अन्य संबंधित और राज्य सरकार से नियमतः अनुमत अनुषांगिक पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गया है। अनुज्ञापक राजस्थान रोपवे अधिनियम, 1996 (1997 का अधिनियम संख्या 18) एवं राजस्थान रोपवे नियम 2000 तथा राज्य सरकार द्वारा इस हेतु जारी विभिन्न परिपत्रों के उपाबंधों एवं प्रावधानों के

तहत अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए सहमत है। अब, यह अनुज्ञप्ति करार इसमें इसके पश्चात अभिव्यक्त निबन्धनों और शर्तों पर अनुज्ञप्तिधारी की स्वतंत्रता और शक्तियां मंजूर करता है।

यह लाइसेंस करार इस बात का साक्षी है कि-

- 1- इसमें इसके आगे आरक्षित रॉयल्टी के, जिसका संदाय किया जाना है और अनुज्ञप्तिधारी की ओर से की गयी उन प्रसंविदाओं के और शर्तों के जिनका अनुपालना और पालन किया जाना है, प्रतिफलस्वरूप अनुज्ञापक (लाइसेंस जारीकर्ता) अनुज्ञप्तिधारी के प्रस्तावों पर राजस्थान रज्जुमार्ग अधिनियम 1996 के अनुसार विचार कर लेने पर अनुज्ञप्तिधारी को इसके द्वारा प्रस्तुत योजना में चिन्हित मार्ग के नक्शे में प्रदर्शित लाइन पर स्थित ऐसी निकटवर्ती भूमि और पहाड़ी ढलानों पर जो इससे संलग्न रेखांक में हवाई रज्जुमार्ग की रेखा रूप में सुभिन्न प्रकार से दर्शाया गया है, प्रवेश करने और उस पर लाल रेखा के उतना निकट जितना सुविधाजनक रूप से हो सके सभी आवश्यक सामान्य और अन्य सामान्य आनुषांगिक संकर्म सुविधाओं सहित यात्रियों के लिए रोपवे के निर्माण, रखरखाव और उसके बाद संचालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता और शक्ति मंजूर करते हैं। परन्तु उक्त स्वतंत्रताएं सदैव ही राजस्थान रोपवे अधिनियम 1996 और तदधीन बनाये गये समय-समय पर यथा संशोधित नियमों के उपाबंधों और इसमें इसके आगे अंतर्विष्ट निर्बन्धनों के अधीन होगी।
2. अनुज्ञप्तिधारी इस समझौते के निष्पादन की तारीख से गिने जाने वाले 35 (पैंतीस) वर्षों की अवधि के लिए इसमें दिए गए सभी अधिकारों, स्वतंत्रताओं, शक्तियों और प्राधिकारों का प्रयोग करेगा। लाइसेंस अवधि को अनुज्ञापक और अनुज्ञप्तिधारी की आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है, जो खंड (3) में वर्णित रॉयल्टी प्रावधानों के अधीन होगा। यदि 35 वर्ष की समयावधि के पश्चात् लाइसेंस का विस्तार नहीं किया जाता है, तो अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति पर प्राधिकरण को परियोजना हस्तांतरित करते समय, वर्तमान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नए अनुज्ञप्तिधारी/सरकार को आवश्यक प्रशिक्षण एवं परिचालन संबंधी उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) की मूल अवधि के दौरान 6,00,000 (छ: लाख रुपये) की वार्षिक रॉयल्टी का भुगतान करेगा। बढ़ायी गयी अवधि के लिए, रॉयल्टी अनुज्ञापक द्वारा राज्य सरकार की अनुमति से निर्धारित की जाएगी।
4. अनुज्ञप्तिधारी को संबोधित सभी पत्र या तो इसमें उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय या उसके स्थानीय रोपवे कार्यालय में भेजे जाएंगे।
5. रोपवे का निर्माण/स्थापना राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित मावठा झील के पास एक केन्द्रीकृत स्थान से नाहरगढ़-जयगढ़-आमेर किलों के बीच किया जाएगा। प्रस्तावित रोपवे परियोजना की वहन क्षमता अधिकतम 800 यात्री प्रति घंटा प्रति दिशा (PPHD) होगी। यह परियोजना मोनोकेबल डिटेचेबल प्रौद्योगिकी पर आधारित होगी तथा यूरोपीय CEN सुरक्षा मानकों के अनुरूप विकसित की जाएगी। रज्जु के विभिन्न भागों के अधीन न्यूनतम हेडवे 5.5 मीटर होगा। परियोजना में कुल तीन स्टेशन तथा अधिकतम पच्चीस टावर प्रस्तावित हैं तथा रोपवे की कुल लम्बाई लगभग 6.2 किलोमीटर होगी परियोजना की अनुमानित लागत 310

- करोड़ रुपये है। अनुज्ञप्तिधारी परियोजना के निर्माण एवं संचालन के दौरान यथासंभव पर्यावरण-अनुकूल (Eco-friendly) तकनीकों, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों का उपयोग करेगा, तथा पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं, सेवाओं एवं उत्पादों में भी पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को प्राथमिकता देगा।
6. यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है तो वह इस समझौते के निष्पादन की तारीख से 3 महीने के भीतर आवश्यक धन जुटाएगा। किसी भी मामले में कार्य का निर्माण शुरू करने से पहले अनुज्ञप्तिधारी के पास आवश्यक पूंजी होना चाहिए ताकि निर्माण में कोर्र देरी न हो और धन की कमी के कारण किसी भी कार्य को रोकना न पड़े। पूंजी की अनुपलब्धता अथवा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण परियोजना में होने वाले किसी भी विलंब के आधार पर 36 माह की समयावधि में कोई विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा एवं अनुज्ञप्तिकरार निरस्त करने के लिए अनुज्ञापक स्वतंत्र होगा।
 7. रोपवे के निर्माण एवं स्थापन कार्य, लागू कानूनों एवं नियमों के अनुसार आवश्यक सभी वैधानिक एवं अन्य अनिवार्य अनुमतियाँ प्राप्त होने की तिथि से 36 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा युक्तिसंगत कारणों सहित लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया गया हो तथा जिसे अनुज्ञापक द्वारा अपने विवेकानुसार लिखित रूप से अनुमोदित किया गया हो। यहां अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षित होगा कि वह समस्त वांछित अनुमति प्राप्त करने में स्वयं के स्तर से यथा आवेदन करने, कमी पूर्ती करने, शुल्क जमा कराने में किसी प्रकार का विलंब स्वयं के स्तर से नहीं करे, यदि अनुज्ञप्तिधारी के स्तर से इस प्रकार का विलंब होना पाया जाता है तो अनुज्ञापक सुरक्षा राशि को जब्त कर अनुज्ञप्तिकरार निरस्तीकरण की कार्यवाही कर सकेगा। चूँकि यह परियोजना वायु सेना के रक्षा क्षेत्र के निकट स्थित है, अतः नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने की पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारी की होगी।
 8. अनुज्ञप्तिधारी पूंजी जुटाते समय रज्जुमार्ग को, किसी निश्चित समय पर अपनी शुद्ध पूंजी के मूल्य से ज्यादा भारग्रस्त नहीं करेगा।
 9. अनुज्ञप्तिधारी रज्जुमार्ग को राज्य सरकार, उस वृत्त के स्थानीय प्राधिकारी को या किसी भी व्यक्ति, फर्म या किसी निगमित निकाय को किसी भी समय अंतरित करने का हकदार होगा, किन्तु किसी भी व्यक्ति या निकाय को उपक्रम का अंतरण करते समय अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापक को पहले से सूचित कर अनुमति प्राप्त करेगा और सभी शोधन बकायाओं का, यदि कोई हों, समाशोधन करेगा। अनुज्ञप्तिधारी रज्जुमार्ग की स्थापना और प्रचालन के उचित लेखे किसी चार्टर्ड लेखाकार द्वारा संपरीक्षित किये जायेंगे।
 10. रोपवे संरचनात्मक डिजाइन, सामग्री की गुणवत्ता, सुरक्षा कारकों, दबाव गणना विधियों और इस समझौते से संलग्न उपाबंध 1 (तकनीकी विवरण) में उपवर्णित है/निर्दिष्ट है के अनुरूप होगा।
 11. रोपवे, इसके उपप्रणालियों और अनुलग्नकों की गति और स्थिति संबंधी सीमाएं उपाबंध 2 में दिए गए अनुसार होंगी।
 12. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत और अनुज्ञापक द्वारा अनुमोदित नक्शे, चित्र, अनुभाग और आरेख उपाबंध 3 में दिए गए हैं।

13. अनुज्ञप्तिधारी खंड रोपवे का निर्माण व संचालन करते समय बिन्दु संख्या 5 व 10 से 12 में उपवर्णित विनिर्देशों, संरचनात्मक डिजाइनों और सामग्री की गुणवत्ता का पूरी तरह से अनुपालन करेगा।
14. रज्जुमार्ग के सन्निर्माण, मरम्मत, कार्यकरण, अनुरक्षण या प्रबंध के दौरान अनुज्ञप्तिधारी जलमार्ग, यदि कोरुड हो, को सम्मिलित करते हुए संचार के किन्हीं भी लोक या अन्य साधनों या किसी हाइड्रेशन (उच्च शक्ति) पावर लाइन या लोकोपयोगी सेवा की किसी भी अन्य वस्तु को कोरुड स्थाई क्षति कारित नहीं करेगा या किसी लोक सड़क, जलमार्ग को सम्मिलित करते हुए आम संचार के किन्हीं भी अन्य साधनों के यातायात में, अस्थायी रूप से अन्यथा, जो आपात स्थितियों में आवश्यक हो, बाधा या विघ्न नहीं डालेगा।
15. रज्जुओं के प्रवहण और प्रणाली के चालन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली चालक शक्ति और साथ ही अवलम्ब देने की व्यवस्थाएं उपाबंध 4 में दी गयी हैं। (टिप्पणी:- इस उपाबंध में प्रयुक्त चालन शक्ति और जनरेटर या इंजन को सम्मिलित करते हुए अवलम्ब देने की व्यवस्था के समस्त ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।)
16. अनुज्ञप्तिधारी अपने स्वयं के खर्च पर आवश्यक स्थानों पर पुलों, बाड़ों और उद्यानों का निर्माण और रखरखाव अनुज्ञापक की अनुमति से करा सकेगा।
17. अनुज्ञप्तिधारी को मानव यात्रियों और यात्री सुविधा, रोपवे रखरखाव संबंधी सामानों के परिवहन के लिए अधिकृत किया जाएगा, लेकिन अन्य जीवित प्राणियों के लिए नहीं। किसी भी आपात स्थिति में अनुज्ञापक अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक निर्देश प्रदान कर अन्य प्रकार के परिवहन करवा सकेगा।
18. अनुज्ञप्तिधारी के पास यात्री परिवहन के लिए अधिकतम दर 21 (IV) के अध्याधीन रहते हुए किराया तय करने की शक्ति होगी, जो अनुज्ञापक द्वारा निर्धारित अधिकतम दरों के अधीन होगा।
19. अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति करार में निहित सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन करेगा।
20. राजस्थान रोपवे अधिनियम, 1996 (1997 का अधिनियम संख्या 18), उसके तहत बनाए गए नियमों या इस समझौते की किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, अनुज्ञापक को किसी भी समय लाइसेंस को निलंबित या रद्द बिना किसी हर्ज खर्च के करने की शक्ति होगी।

21. अन्य निबंधन/ शर्तें निम्नानुसार हैं:-

- I- यदि अनुज्ञप्तिधारी जी.आर. इन्फ्रा प्रॉजेक्टस् लिमिटेड अपनी एस.पी.वी राजस्थान ऐरियल स्काई सफारी प्राइवेट लिमिटेड (U42101RJ2026PTC113584) के माध्यम से इस रोपवे का निर्माण करना चाहती है तो वह 30 दिवस के अन्दर इस प्रकार की अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करेगी कि उक्त एस.पी.वी. की समस्त देयता को चुकता करने की समस्त जिम्मेदारी उसकी होगी।
- II- परियोजना निर्माण की अवधि 36 माह तय की गई है, जिसके भीतर सभी सिविल निर्माण और रोपवे की स्थापना पूर्ण कर संचालन के लिए तैयार करना होगा।
- III- 35 वर्ष के बाद, यदि अवधि नहीं बढ़ाई जाती है या नवीनीकरण नहीं किया जाता है या किसी अन्य को अन्तरीत नहीं किया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापक की अनुमति से सिविल

संरचनाओं को नुकसान पहुंचाए बिना अपने खर्च पर मशीनरी और उपकरण हटाने का अधिकारी होगा।

IV- अनुज्ञप्तिधारी अपने खर्च पर सभी आवश्यक परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र और अनापति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करनी होगी।

V- वयस्क यात्रियों/पर्यटकों (जिनकी शारीरिक ऊंचाई 110 सेमी से अधिक है) तथा नाबालिग/बाल यात्रियों पर्यटकों जिनकी शारीरिक ऊंचाई 110 सेमी से कम है से एक तरफा रोपवे यात्रा हेतु निम्नलिखित आधार पर किराया लिया जाएगा, जिस पर समय-समय पर लागू जीएसटी एवं अन्य वैधानिक कर सम्मिलित किये जाकर अतिरिक्त रूप से देय होंगे। आमेर मावठा से जयगढ़ तक एक तरफा रोपवे का प्रस्तावित किराया घरेलू 3 वर्ष से छोटे बालक/बालिका निःशुल्क अन्य नाबालिग/बाल यात्रियों के लिए 350 रुपये और घरेलू वयस्क यात्रियों के लिए 500 रुपये होगा, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए यह किराया नाबालिग/बाल यात्रियों के लिए 750 रुपये और वयस्कों के लिए 1000 रुपये होगा। इसी प्रकार आमेर मावठा से नाहरगढ़ तक एक तरफा रोपवे का प्रस्तावित किराया घरेलू 3 वर्ष से छोटे बालक/बालिका निःशुल्क अन्य नाबालिग/बाल यात्रियों के लिए 550 रुपये और घरेलू वयस्क यात्रियों के लिए 700 रुपये होगा, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए यह किराया नाबालिग बाल यात्रियों के लिए 950 और वयस्कों के लिए 1200 रुपये होगा।

ये सभी दरे आधार वर्ष 2025-2026 के लिए हैं और साल दर साल वार्षिक दर वृद्धि के आधार पर इन्हें फिर से समायोजित किया जाएगा। इसके अलावा 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) पर उक्तानुसार निर्धारित किराये पर 50 प्रतिशत छुट दी जावेगी।

इन सभी दरों को उस तारीख से प्रभावी पूर्णता तिथि से रोपवे शुरू होने के वर्ष में समायोजित किया जाएगा जिस दिन से लाइसेंस समझौता प्रभावी होता है। उपरोक्त शुल्क में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जा सकती है, हालांकि ऐसी वृद्धि को लागू करने से पहले अनुज्ञप्तिधारी को अनिवार्य रूप से अनुज्ञापक से पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। रोपवे के निर्माण और संचालन के लिए किसी भी स्थानीय कर, और राज्य सरकार या केंद्र सरकार को देय किसी भी प्रकृति के करों के भुगतान की जिम्मेदारी पूरी तरह से अनुज्ञप्तिधारी की होगी।

VI- रोपवे संचालन शुरू होने के बाद से अनुज्ञप्तिधारी 6,00,000 रुपये (छः लाख रुपये) को वार्षिक राशि का भुगतान करेगा, जिसमें हर साल 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा, रोपवे तक पहुंचने के लिए आवश्यक बुनियादी पहुंच सुविधाएं और प्रकाश व्यवस्था, सीवरेज आदि जैसी अन्य संबंधित सहायक सुविधाएं प्रदान करने और उनके संचालन और रखरखाव के लिए, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थानीय नियम अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम को नियमित भुगतान करेगा। अनुज्ञप्तिधारी लागू कानूनों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार तथा अनुज्ञापक के सुझावों एवं परामर्श के अनुरूप, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेगा।

- VII- अनुज्ञप्तिधारी किसी भी तरीके से रोपवे से संबंधित अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को हस्तांतरित नहीं करेगा। हालांकि अनुज्ञप्तिधारी की पूर्व लिखित अनुमति के साथ अनुज्ञप्तिधारी रोपवे के यांत्रिकी संचालन और रख-रखाव में अनुभव रखने वाली किसी भी एजेंसी को शामिल कर सकता है। ऐसे मामले में भी, पूरी जिम्मेदारी और देयता पूरी तरह से अनुज्ञप्तिधारी की ही रहेगी।
- VIII- अनुज्ञप्तिधारी रोपवे के संचालन के लिए केवल प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मियों की नियुक्ति करेगा और औद्योगिक विवाद अधिनियम श्रमिक संबंधी अधिनियम, नियम और अन्य सभी लागू कानूनों और नियमों के अनुपालन के लिए प्रमुख नियोक्ता के रूप में जिम्मेदारी रहेगा।
- IX- सभी विवादों के लिए अधिकार क्षेत्र जयपुर रहेगा। सभी विवादों का समाधान राजस्थान रोपवे अधिनियम, 1996 (1997 का अधिनियम संख्या 18) एवं राजस्थान रोपवे नियम 2000 के तहत या एकल मध्यस्थ के माध्यम से किया जाएगा, जिसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति से नियुक्त किया जाएगा। दोनों पक्ष राजस्थान रोपवे अधिनियम, 1996 (1997 का अधिनियम संख्या 18) एवं राजस्थान रोपवे नियम 2000 एवं मध्यस्थता अधिनियम (यथा स्थिति) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।
- X- अनुज्ञप्तिधारी इस लाइसेंस समझौते के निष्पादन की तारीख से 30 दिन के भीतर लाइसेंसिंग प्राधिकरण को सुरक्षा जमा के रूप में 30,00,000 (तीस लाख रुपये) का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करेगा। जिसमें विफल रहने पर यह अनुज्ञापत्र समझौता स्वतः शून्य और अमान्य माना जाएगा।
- XI- अनुज्ञप्तिधारी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अद्यतन और लागू प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन करेगा, और अपने स्वयं के खर्च/लागत पर पर्यावरण विभाग से अपेक्षित अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- XII- अनुज्ञप्तिधारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रासंगिक अद्यतन और लागू प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन करेगा। संनिर्माण के दौरान प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, परियोजना हेतु वन विभाग से प्राप्त अनुमति उपरांत काटे गए प्रत्येक वृक्ष के एवज में अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम 10 (दस) वृक्षों का रोपण करना होगा तथा उनके संरक्षण की समुचित व्यवस्था करनी होगी। इस कार्य हेतु आवश्यक भूमि अनुज्ञापक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
- XIII- यदि रोपवे के निर्माण, संचालन या विघटन/हटाने के दौरान कोई शारीरिक चोट या संपत्ति का नुकसान होता है, तो मुआवजे/देयता की पूरी जिम्मेदारी पूरी तरह से अनुज्ञप्तिधारी की होगी।
- XIV- अनुज्ञप्तिधारी अनिवार्य रूप से सभी यात्रियों और कर्मचारियों के लिए दुर्घटना जोखिम को कवर करने के लिए कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक बीमा कंपनी से कम से कम 5,00,000 (केवल पांच लाख रुपये) मृत्यु होने की स्थिति में, 2,00,000 (केवल दो लाख रुपये) घायल होने पर व 50,000 (पचास हजार रुपये) मामूली चोट प्रति व्यक्ति को कवरेज के लिए एक समूह बीमा पॉलिसी स्वयं के स्तर/लागत से प्राप्त करेगा।

- XV- निर्माण पूरा होने के बाद और रोपवे का संचालन शुरू करने से पहले, अनुज्ञप्तिधारी मुख्य निरीक्षक, रोपवे और अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर से अंतिम फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।
- XVI- उपखण्ड अधिकारी जयपुर (उत्तर) के साथ रोपवे निरीक्षक और अधीक्षण अभियंता (यांत्रिकी) सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर के साथ निर्माण और संचालन के दौरान रोपवे का त्रैमासिक निरीक्षण करेंगे और निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- XVII- Force Majeure इस अनुज्ञापत्र करार की वैधता के दौरान यदि युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं या अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से परियोजना के निर्माण में देरी होती है तो अनुज्ञापक, अनुज्ञप्तिधारी के लिखित आवेदन पर प्रोजेक्ट पूर्ण करने के लिए समय बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर सकेगा।
- XVIII- अनुज्ञप्तिधारी इस रोपवे परियोजना के अंतर्गत रोपवे मार्ग/परिसर में आवश्यक नागरिक सुविधाएँ और पर्यटन सुविधाएँ प्रदान करेगा। जिसमें कार/स्कूटर/बसों के लिए पार्किंग, कतार क्षेत्र, विश्राम क्षेत्र लाउंज, किड्स जोन, शिशु स्तनपान कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा सेवाएँ, रेस्तरां, भोजन क्षेत्र, प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों के लिए मनोरंजन क्षेत्र, पीने का पानी, शौचालय, व्हीलचेयर और स्टेशन परिसर के भीतर पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था शामिल है, उक्त समस्त सुविधाएं दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकजन के मित्रवत हो यह सुनिश्चित करेगा।
- XIX- राजस्थान रोपवे अधिनियम 1996 के अध्याय 7 के अनुपालन में लार्डसेंसिंग प्राधिकरण अपने निर्देशों के अनुसार, संभावित खतरे और यातायात संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रोपवे या उसके किसी भी निर्दिष्ट भाग को अनुज्ञापक को कारणों से अवगत कराते व सूचित करते हुए बंद या निलंबित कर सकता है। ऐसे बंद या निलंबित रोपवे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने और आवश्यक निरीक्षण करने के बाद सक्षम आदेश के माध्यम से फिर से खोला जा सकेगा।
- XX- पंजीकरण से संबंधित सभी व्यय तथा उससे जुड़े आकस्मिक अथवा परिणामी प्रकृति के सभी खर्चों का वहन अनिवार्य रूप से इच्छित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा, जिस हेतु किसी प्रकार का दावा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञापक पर निर्धारित अनुज्ञप्तिकरार अवधि तक नहीं किया जायेगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पूर्वोक्त पक्षकारों ने आज दिनांक 19.08.2026 को नीचे दिये गये साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये हैं।

अनुज्ञप्तिधारी

श्री अनिरुद्ध कुमार जसवाल पुत्र श्री
सुभाष चन्द जसवाल अधिकृत प्रतिनिधी
पंजीकृत कार्यालय :-

जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड

रेवन्यू ब्लॉक नम्बर 223 ओल्ड सर्वे नम्बर

384/1, 384/1 , पैकी और 384/3 खाता

नम्बर 464, कोचरिया अहमदाबाद गुजरात 382220

अनुज्ञापक अधिकारी

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
(राजस्थान के राज्यपाल के लिए और)

कापॉरिट आफिस -:

जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड

जी आर वन प्लाट नम्बर 7बी , सेक्टर 18 मारूती

इन्ट्रीस्टीयलकॉम्पलेक्स गुडगाव 122015

हरियाणा ।

साक्षी

संदीप तोमर पुत्र श्री स्व.गजेन्द्र तोमर

जाति राजपूत निवासी आर सी -122 डी

अनिल तोमर , खोडा कॉलोनी , गाजियाबाद

खोडा पीओ खोडा गांव , गाजियाबाद

साक्षी

2. युगांतर शर्मा

अति. जिला मजिस्ट्रेट, शहर दक्षिण

कलेक्ट्रेट, जयपुर ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।